183

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर मोतीमहल ग्वालियर (म0प्र0)

निग | 3891 / III-15
प्र0 क्रं0–

1.टिल्लीबाई विधवा कारूलाल जाति कुमावत आयु साल
2.पुष्कर पिता कारूलाल जाति कुमावत आयु साल
3.मांगीलाल पिता कारूलाल जाति कुमावत आयु साल
निवासीगण–नरसिंहपुरा मंदसौर (म0प्र0).........................आवेदकगण

19/11/2015
O.S.

बनाम

शंकरलाल पिता किशनलाल जाति कुमावत
निवासी–नरसिंहपुरा मंदसौर (म0प्र0) ....अनावेदक

1467

//प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भु0रा0 संहिता 1959//
राजस्व निरीक्षक वृत–1मंदसौर सीमांकन प्र.क्रं 149अ/12/13–14 में किये गये सीमांकन दिनांक 24.06.2014 से परिवेदित होकर यह निगरानी जानकारी दिनांक 29.10.2015 से अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

24.11.15

माननीय महोदय,

आवेदकगण की और से रिविजन निम्नानुसार पेश है:–

//प्रकरण के तथ्य//

यह कि अनावेदक द्वारा कस्बा मंदसौर स्थित भुमि सर्वे क्रं. 1526 मिन–2, 1529 मिन–2 कुल रकबा 0.698 है0 का सीमांकन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर से राजस्व निरीक्षक वृत 1 मंदसौर द्वारा दिनांक 24.06.2014 को उक्त भुमि का सीमांकन किया गया। जिसकी जानकारी अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में सीमांकन के आधार पर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में उपस्थित होने पर दिनांक 29.10.2015 को हुई है। इस सीमांकन प्रकरण क्रं0 149 अ 12/13–14 दिनांक 24.06.2014 से असन्तुष्ठ होकर यह निगरानी अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है।

XXIX(a)-BR(H)-11

183

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3827-तीन/15

जिला- मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	